रिपोर्टेबल

भारत के सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल याचिका संख्या 2278/2011

(एसएलपी (सी) संख्या 2888/2008)

राजस्थान राज्य ..... अपीलार्थी

बनाम

महेश कुमार शर्मा ..... प्रतिवादी

निर्णय

गोखले, न्यायाधिपति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. राजस्थान राज्य द्वारा विशेष अवकाश द्वारा इस अपील को राजस्थान के उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्ड पीठ के सिविल विशेष अपील संख्या 749/2007 में पारित दिनांक 5 सितंबर, 2007 के फैसले के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है। उस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सिविल रिट याचिका सं. 2611/2006 में पारित दिनांक 12 सितंबर, 2006

को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया ।

3. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः-

प्रतिवादी राजस्थान के बालोतरा में जिला और सत्र न्यायालय में काम करने वाला एक कर्मचारी था। वह छुट्टी पर उत्तरांचल गए थे, जहाँ उन्हें हृदय रोग हो गया था। बालोतरा लौटते समय वह अचानक बीमार पड़ गए और नई दिल्ली के एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया और बाय-पास सर्जरी के लिए ऑपरेशन किया गया। उन्होंने राजस्थान राज्य से पूर्ण चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा किया। राज्य सरकार ने उनके अनुरोध को सीमित सीमा तक स्वीकार कर लिया और उन्हें 50,000/- रुपये तक की प्रतिपूर्ति प्रदान की। जो नियमों के अनुसार अनुमत था।

4. प्रतिवादी ने व्यथित महसूस किया और इसलिए एक रिट याचिका दायर की जो विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी और उससे अपील को खण्ड पीठ द्वारा खारिज कर दिया था और इसलिए राजस्थान राज्य द्वारा विशेष अनुमति द्वारा यह अपील की गई थी।

5. खण्ड पीठ के साथ-साथ एकल न्यायाधीश ने राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ का निर्णय अर्थात् शंकरीलाल बनाम राजस्थान राज्य 2000(3) डब्ल्यूएलसी (राज) 585 पर भरोसा किया है। उस मामले में जो हुआ वह यह था कि अपीलकर्ता की पत्नी भी इसी तरह उसके साथ राजस्थान से बाहर गई थी, जहाँ उसे हृदय की समस्या हो गई थी। उन्हें

नई दिल्ली के एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट ले जाया गया जहाँ उनका ऑपरेशन किया गया। सरकार द्वारा उनकी शल्य चिकित्सा के खर्च की प्रतिपूर्ति को अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने एक रिट याचिका दायर की जिसे खण्ड पीठ ने स्वीकार कर लिया।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इंगित करते हैं कि उच्च न्यायालय की पीठ ने राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) 1970 के नियम 6 के विरुद्ध नियम 7 पर भरोसा करने में गलती की थी। वे इंगित करते हैं कि उन नियमों का नियम 6 प्रासंगिक नियम है जो उस स्थिति पर लागू होता है जहां एक कर्मचारी राज्य से बाहर जाता है और बीमार पड़ जाता है। नियम 7 ऐसी स्थिति के साथ समझौता करता है कि जहां एक सरकारी कर्मचारी राजस्थान राज्य में बीमारी के लिए आवश्यक चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है जो एक अलग स्थिति है और जिस स्थिति में उसे अस्पतालों में उपचार की अनुमति है जो नियमों के परिशिष्ट-11 में उल्लिखित हैं। उनके अनुसार नियम 6 (1) प्रासंगिक नियम है जो इस प्रकार हैः-

6. राजस्थान के बाहर चिकित्सा उपस्थिति और उपचारः-

(1) भारत में राजस्थान के बाहर किसी स्टेशन पर तैनात या ड्यूटी पर भेजे गए या छुट्टी पर या अन्यथा भेजे गए अपने परिवार के सदस्यों सहित एक सरकारी कर्मचारी जो बीमार हो जाता है, वह केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार

द्वारा बनाए गए पैमाना और नियमों के तहत अस्पताल में एक इनडोर और आउटडोर रोगी के रूप में मुफ्त चिकित्सा उपस्थिति और उपचार का हकदार होगा, और उसे इन नियमों के तहत स्वीकार्य होगा, यदि वह राजस्थान में ड्यूटी पर या छुट्टी पर होता।

7. जैसा कि ऊपर कहा गया है, नियम 7 रोग के उपचार से संबंधित है जो कि राजस्थान राज्य में उपचार उपलब्ध नहीं है। निश्चित रूप से यह तर्क नहीं दिया जा सकता है और प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा तर्क नहीं दिया गया है कि राजस्थान राज्य में हृदय शल्य चिकित्सा के लिए उपचार उपलब्ध नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली को 25 अगस्त, 1989 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा परिशिष्ट 11 में शामिल किया गया है और इसे राजस्थान राज्य द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त है नियम 7 (1) स्वयं बताता है कि ऐसे संस्थान से शल्य चिकित्सा के लिए संपर्क किया जा सकता है, लेकिन केवल जिसके लिए राजस्थान में उपचार उपलब्ध नहीं है। नियम 7 (1) इस प्रकार हैः

7. एक बीमारी का उपचार जिसके लिए राज्य में उपचार उपलब्ध नहीं हैः-

(1) एक सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य किसी बीमारी से पीड़ित है और राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में उपचार उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए सरकार

द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के बाहर एक अस्पताल/संस्थान में इस नियम के उप नियम (2) में इंगित सीमा तक चिकित्सा उपस्थिति और उपचार का हकदार होगा, बशर्ते कि यह एक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य/चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के निदेशक द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि एक विशेष बीमारी का उपचार जिससे रोगी पीड़ित है राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है और यह रोगी के ठीक होने के लिए राज्य के बाहर एक अस्पताल में उपचार करने के लिए आत्यन्तिक रूप आवश्यक माना जाता है।

यह स्थिति होने के कारण, हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खण्ड पीठ और पूर्ववर्ती खण्ड पीठ, जिसने शंकरीलाल के मामले (उपर्युक्त) का निर्णय लिया, ने नियम 7 (1) पर भरोसा करने और एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली में इलाज के दौरान संबंधित कर्मचारी द्वारा किए गए खर्चों की पूरी प्रतिपूर्ति देने में गलती की।

8. इस संबंध में एक के निर्णय को संदर्भित करना लाभदायक होगा पंजाब राज्य में तीन न्यायाधीशों की पीठ और अन्य बनाम राम लुभाया बग्गा और अन्य (1998) 4 एस. सी. सी. 117 में रिपोर्ट दी, जहां पीठ ने निर्धारित किया है कि सरकार चिकित्सा सुविधाओं को उस सीमा तक सीमित करने में उचित होगी, जहां तक उसे अपने वित्तीय संसाधनों द्वारा

अनुमति दी गई है। तत्काल मामले में, सरकार ने कुछ स्थितियों में और एक निश्चित सीमा तक चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने वाले आवश्यक नियम तैयार किए हैं। सरकार नियमों द्वारा अनुमत आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति समान रूप से करती रही है। इसलिए यह उचित नहीं होगा कि सरकारी कर्मचारी या उसके रिश्तेदारों के लिए नियमों में जो प्रावधान किया गया था, उसके अलावा चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति का दावा किया जाए।

9. परिस्थितियों में, हम इस अपील की अनुमति देते हैं और खण्ड पीठ के साथ-साथ एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय दरकिनार करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज हो जाएगी।

10. हालाँकि, इस अपील की अनुमति दी जा रही है, हमें सूचित किया जाता है कि प्रत्यर्थी को पहले ही उस राशि का भुगतान कर दिया गया है जो जनवरी, 2008 में एकल न्यायाधीश के दिनांक 12.9.2006 के निर्णय के अधीन निर्देशित की गई थी और यह कि प्रत्यर्थी बाद में सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है। यह स्पष्ट है कि प्रतिपूर्ति शंकरीलाल के मामले (उपर्युक्त) में प्रासंगिक नियमों की तत्कालीन रोकथाम व्याख्या को ध्यान में रखते हुए की गई थी। यह स्थिति होने के कारण, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता सरकार प्रत्यर्थी को भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं करेगी, और न ही सरकार ऐसी किसी राशि की वसूली करेगी जो शंकरीलाल के फैसले के तहत ऐसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की मांग करने

वाले अन्य कर्मचारियों को दी गई है जो अब तक प्रचलित थी। हालाँकि, अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शंकरीलाल के मामले में निर्णय सही कानून को निर्धारित नहीं करता है, और इसे खारिज कर दिया गया है। ऊपर वर्णित कानूनी स्थिति इसके बाद लागू होगी।

11. अपील की अनुमति दी जाती है और तदनुसार निपटाया जाता है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

न्यायाधिपति (जे.एम. पांचाल)

न्यायाधिपति (एच एल गोखले)

नई दिल्ली

दिनांक 2 मार्च, 2011

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा।